



परीक्षा समिति 07वीं बैठक का कार्यवृत्त

**दिनांक 07.08.2023 को अपराह्न 03:30 बजे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित
आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन के सभागार में सम्पन्न परीक्षा समिति 07वीं बैठक का कार्यवृत्त**

01.	प्रो० एन०बी० सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० ए० चटर्जी	सदस्य
03.	प्रो० चन्दना डे,	सदस्य
04.	प्रो० एहतेशाम अहमद	सदस्य
05.	प्रो० फ़खरे आलम	सदस्य
06.	प्रो० सौबान सईद	सदस्य
07.	डॉ० नीरज शुक्ल	सदस्य
08.	डॉ० पूनम चौधरी	सदस्य
09.	कुलसचिव	सदस्य
10.	डॉ० भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यगण का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत कार्य-सूची पर परीक्षा समिति द्वारा बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

बिन्दु संख्या-01 06वीं परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.04.2023 की सलंग्न कार्यवाही के सम्पूर्णरण पर विचार।

निर्णय परीक्षा समिति की 06 वीं बैठक दिनांक 11.04.2023 के कार्यवृत्त का अवलोकनोपरान्त सम्पूर्णरण किया गया।

बिन्दु संख्या-02 छात्र श्री असगर अली शाह के N+2 की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्पेशल बैंक पेपर में कराने पर विचार-विमर्श।

निर्णय छात्र श्री असगर अली शाह जम्मू कश्मीर का निवासी है। तत्समय वर्ष 2019-20 में वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप था तथा अनुच्छेद 370 हटने के कारण जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य नहीं थी। साथ ही जम्मू कश्मीर में आवागमन भी बाधित था। अतः छात्र विश्वविद्यालय में आयोजित बैंक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका। समिति द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत श्री असगर अली शाह को सत्र 2022-23 की माह अगस्त में होने वाली स्पेशल बैंक पेपर परीक्षा में अनिम रूप से सम्मिलित होने पर संस्तुति प्रदान की गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि छात्र सम्बन्धित बैंक पेपर परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसके किसी भी प्रकार के आवेदन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा एवं इस तरह के प्रकरण को भविष्य में उदाहरण के तौर पर संज्ञानित भी नहीं किया जायेगा।



बिन्दु संख्या- 03 निर्णय	विश्वविद्यालय के UFM में पकड़े गये छात्र-छात्राओं की नकल में सहायता करने वाले कक्ष पर्यवेक्षण में लापरवाही करने वाले कक्ष निरीक्षक के लिए नियम बनाने हेतु समिति का गठन किये जाने पर विचार। विश्वविद्यालय में यदि कोई अधिकारी/शिक्षक/कक्ष निरीक्षक/शोधार्थी/कर्मचारी छात्र-छात्राओं को नकल करने में सहयोग करते पाये जायेंगे, तो प्रकरण केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक सम्बन्धित प्रकरण को अनुचित साधन प्रयोग (UFM) समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अनुचित साधन प्रयोग (UFM) समिति अपनी आख्या को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। “अग्रेतर यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों के संज्ञान में आते ही अनुचित साधन प्रयोग (UFM) समिति की बैठक कराकर एक सप्ताह के अन्दर ही परीक्षा समिति बैठक आहूत करायी जायेगी।”
बिन्दु संख्या- 04 निर्णय	आगामी स्पेशल बैंक पेपर परीक्षा की तैयारी एवं तिथि पर विचार-विमर्श। आगामी स्पेशल बैंक पेपर परीक्षा की तैयारी एवं समय सारिणी पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।
बिन्दु संख्या- 05 निर्णय	विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं के रख-रखाव की अवधि एवं निस्तारण के नियम बनाने हेतु समिति का गठन किये जाने पर विचार। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रयोग की गयी उत्तर पुस्तिकाओं को दो वर्षों तक संरक्षित रखे जाने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। साथ ही दो वर्ष के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ (Flap Part-II and Part-III) को संरक्षित करते हुए शेष उत्तर पुस्तिकाओं का कतरन किये जाने के पश्चात् निस्तारित किये जाने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।
अन्य बिन्दु -01 निर्णय	अन्य बिन्दु माननीय अध्यक्ष/ कुलपति महोदय की अनुमति से। परीक्षा में उपयोगार्थ उत्तर पुस्तिकाओं के षट्ठों के निर्धारण पर विचार-विमर्श। परीक्षा में उपयोगार्थ उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठ के निर्धारण पर विचार करते हुए मुख्य उत्तर पुस्तिका के षट्ठों की संख्या 24 करने की समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।
अन्त में बैठक धन्यवाद् ज्ञापित करने के उपरान्त समाप्त हुई।	

Bhawna Mishra

(डॉ भावना मिश्रा)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव
Controller Of Examination
K.M.C. Language University
Lucknow

Om Singh

(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष
Vice Chancellor
Khwaja Moinuddin Chisti
Language University, Lucknow